संख्या-125/2025/I/1030462/2025/71-1001(099)/179/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 21 जुलाई, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु अवशेश धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/701, दिनांक 22.03.2025 एवं पत्र संख्या-एमई/निर्माण /2025-26/141, दिनांक 09.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु मूल्याकंन समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 25.72 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू 7.72 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-89/2020/2774/71-1-20-जी-13/2016टी0सी0-2, दिनॉक 16-07-2020 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु मूल्याकंन समिति द्वारा आकलित लागत रू0 25.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 12.86 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-140/2020/4088/71-1-2020-जी-13/2016टी0सी0-2, दिनॉक 18.11.2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 5.14 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 25.72 लाख के सापेक्ष अब तक कुल रू0 18.00 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा रू0 7.71 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-3511/2024 दीपक कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य से आच्छादित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, (उरई) जालौन में बी0एस0एल0-2 लैब की स्थापना हेतु आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत कार्य** हेतु स्वीकृत लागत रू0 25.72 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार में मानक मद-24-वृहद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्माण कार्य मद में प्रावधानित एकमुश्त धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रू0 7.72 लाख (रू0 सात लाख बहात्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

4. शासनादेश संख्या-89/2020/2774/71-1-20-जी-13/2016टी0सी0-2, दिनॉक 16-07-2020 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय रुपये 7,72,000 (रुपये सात लाख बहत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031056800 राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उरई जालौन।

7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।